भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1177
दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 / 12 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति

1177. श्री संतोष पांडेयः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के अंतर्गत आने वाले सभी सुरक्षा बलों में सेवा के दौरान शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान क्या है;
(ख) शहीद सैनिको के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने वाले मानदंडों का ब्यौरा क्या है;
(ग) छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने परिवार हैं जिनके सदस्य सेवा के दौरान शहीद हुए और उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी गई है; और
(घ) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं मिलने की स्थिति में उक्त परिवारों के आश्रितों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने का क्या प्रावधान हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अनुकंपा नियुक्ति की नीति निर्धारित की है, जिसे मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिनांक 09.10.1998, के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/6/94-स्था.(घ) और दिनांक 02.08.2022, के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/01/22-स्था.(घ) के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जाना होता है। इन निर्देशों के अनुसार, श्रेणी 'ग' के पदों पर एक वर्ष में उत्पन्न होने वाली सीधी भर्ती की अधिकतम 5% रिक्तियों को विभागों द्वारा अनुकंपा के आधार पर भरा जा सकता है, जो कि इन निर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन होता है। मृतक सरकारी कर्मचारी या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी या सशस्त्र बलों के सदस्य के परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के लिए सामान्य प्रयोज्यता

और मानदंडों के प्रावधान भी दिनांक 02.08.2022 के उक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए हैं। विभागों द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियाँ उपलब्ध रिक्तियों की सीमा तक की जाती हैं। लंबित मामलों संबंधी आंकड़े केंद्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(घ): सरकारी अनुदेशों के अनुसार पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के अलावा, राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के कार्मिकों के परिवारों/निकटतम संबंधियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ अनुलग्नक में दिए गए हैं।

*****

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1177, दिनांक 03.12.2024

अनुलग्नक

राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के कार्मिकों के परिवारों/निकटतम संबंधियों (एनओके) को प्रदान किए जाने वाले लाभों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के दिवंगत कार्मिकों के निकटतम संबंधी (एनओके) को दी जाने वाली एकमुश्त केन्द्रीय अनुग्रह राशि को, जैसा भी मामला हो, उसके अनुसार, सक्रिय ड्यूटी पर मृत्यु होने पर 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 35 लाख रुपये तथा ड्यूटी पर मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।

(ii) केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 2023 के अंतर्गत उदारीकृत/असाधारण पारिवारिक पेंशन।

(iii) सेवा संबंधी अन्य सभी सामान्य लाभ यथा, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी), छुट्टी नकदीकरण, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना (सीजीईजीआईएस), सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ), आदि।

(iv) संबंधित बल की जोखिम/कल्याण/हितकारी निधि से, इस निधि के मानदंडों के अनुसार अनुग्रह राशि और अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता।

(v) ऐसे कार्मिकों के नामों को 'भारत के वीर' नामक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करके 25 लाख रुपए तक का सार्वजनिक अंशदान। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कार्मिकों के निकटतम संबंधी को विभिन्न स्रोतों से न्यूनतम 1.00 करोड़ रुपये की सहायता मिल जाए। 'भारत के वीर' कोष से विवाहित दिवंगत कार्मिकों के माता-पिता को 10 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता के साथ-साथ केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के उन कार्मिकों को भी 10 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाती है, जो ड्यूटी के दौरान घायल हो गए तथा ऐसी चोटों के कारण सेवा से बाहर हो गए।

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1177, दिनांक 03.12.2024

(vi) सीएपीएफ वेतन पैकेज स्कीम के अंतर्गत बीमा कवरेज।

(vii) निकटतम संबंधियों को कुछ लाभों यथा हवाई और रेल यात्रा भाड़े में रियायत तथा रिटेल पेट्रोल पंपों के आबंटन आदि के लिए पात्र बनाने हेतु उन्हें 'ऑपरेशनल कैजुअल्टी प्रमाण पत्र' जारी करना।

(viii) एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उनके बच्चों के लिए कोटा।

(ix) प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस) के अंतर्गत, बालिकाओं के लिए 3000/- रुपए प्रति माह की दर से और बालकों के लिए 2500/- रुपए प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति।

(x) कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके अपने नियमों के अनुसार, मुआवजे/सहायता का भुगतान।

*****